

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग-उदयपुर

कार्यालय आदेश

TSP


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ. /व.अ.-सा.विज्ञान/2016/ दिनांक 05.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा-2016 से चयनित आशार्थियों(सा.विज्ञान) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, वरिष्ठ अध्यापक-सामाजिक विज्ञान के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल-11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रुपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (FIX REMUNERATION) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (FIX REMUNERATION) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:

- 1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 2 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 3 विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4 अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
- 5 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर, त्रुटीपूर्ण, जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।



- 6 अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।
- 7 चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
- 8 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क-2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं कराने संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
- 9 यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा-2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अधधीन रहेंगी।
- 10 इन अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 10.10.2018 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
- 11 टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव में कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये
- 12 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयों के अधधीन रहेगे।
- 13 नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे।
- 14 संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे।



(भरत मेहता)

संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

क्रमांक : संनि-स्कूशि/उदय/संस्था-ब/फा-1051-53(सा.विज्ञान)/2018/ 49 दिनांक : 06-10-2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 2 शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3 शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 5 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
- 6 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 7 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर
- 8 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी., माध्यमिक,प्रारम्भिक प्रथम/द्वितीय.....
- 9 वरिष्ठता अनुभाग - कार्यालय हाजा
- 10 संबंधित संस्था प्रधान.....
- 11 संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
- 12 निजी/गार्ड पत्रावली



संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर


कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर सम्भाग, उदयपुर

क्रमांक:-संनि-स्कूशि/उदय/संस्था-ब/फा.1051-53(सामाजिक विज्ञान)/2018/49 दिनांक:- 06.10.2018

विषय:- सामाजिक-विज्ञान

टीएसपी

क्र. स.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	पता	चयन वर्ग	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान राउमावि/रामावि	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1536	GE	MADAN LAL JOSHI	MOHAN LAL JOSHI	14-12-84	V/P-GODANA, JHADOL, UDAIPUR	TGEM	कुराबड (कुराबड)	उदयपुर
2	1631	BC, WE	MANISHA PATEL	RAM LAL PATEL	12-05-92	VILLAGE POST SULAI TEH.KHERWARA DIST.UDAIPUR	TGEF	पई (गिर्वा)	उदयपुर
3	1647	TSP-ST	MANILAL DAMOR	BHATU DAMOR	08-07-80	VPO-KIRAPADA (VANELAPARA), BAGIDORA, BANSWARA	TSTM	गमनिया हमीरा (गांगडतलाई)	बांसवाडा
4	1738	TSP-ST	VISHRAM SINGH MAIDA	LALUJI MAIDA	27-08-78	VPO MAKANPURA, TEH CHHOTISARWAN, DIST BANSWARA, ,	TSTM	आमलिया (आनन्दपुरी)	बांसवाडा
5	1745	TSP-ST, RG, NG	RAJESH PARMAR	GANESH LAL	02-11-84	V.P.O GHODI,TEH-RISHABHDEO,DIST-UDAIPUR	TSTM	बिलख (ऋषभदेव)	उदयपुर
6	1747	TSP-ST	RAJENDRA DAMOR	RANCHOD LAL DAMOR	03-04-94	VPO ODA BADA WAYA KANBA TEH BICHHIWARA DIST DUNGARPUR	TSTM	बांसिया (सीमलवाडा)	डूंगरपुर
7	1753	TSP-ST	DAYA SHANKAR CHARPOTA	DEEPCHAND	03-11-88	VPO AMARTHUN, TEHSIL GHATOL, BANSWARA	TSTM	चरकनी (गांगडतलाई)	बांसवाडा
8	2157	BC, WE, WD	PUSHPA RATHOR	GANESH LAL RATHOR	01-10-81	2-J-1, HOUSINGBOARD ,DEEPAK DUDHDairyKESAMNE, BANSWARA	TGEF	बडलिया (आनन्दपुरी)	बांसवाडा
9	2209	TSP-ST, WE, WD	ANITA KUMARI KHARADI	GOTAM LAL KHARADI	16-02-89	M.POSTVAGADARI, VAGADARI, DUNGARPUR	TSTF	भाणासीमल (झौंथरी)	डूंगरपुर



(भरत मेहता)

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग, उदयपुर